संख्या : 23/2015/2156/छप्पन-2014-108/2000

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक: 30 मार्च, 2015

विषय : नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 में कम्प्यूटर साफ्टवेयर के विकास तथा तत्सम्बन्धी हार्डवेयर एवं सह-उपकरण के लिए स्वीकृत धनराशि को "डिपाजिट वर्क" के रूप में कार्यदायी संस्था को दिये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 938-39/ना0उ0/40-जी(ई0आर0पी0)/2014, दिनांक 18-12-2014 के संदर्भ में शासनादेश संख्या- 1224(2)/छप्पन-14-108/2000, दिनांक 07-12-2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 में यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि0 के माध्यम से ई0आर0पी0 साफ्टवेयर के विकास तथा तत्सम्बन्धी हार्डवेयर एवं सह-उपकरण क्रय करने, उसका संस्थापन, उसके परिचालन हेतु आवश्यक प्रशिक्षण और उसके न्यूनतम आरम्भिक 05 वर्षों के लिए अनुरक्षण कराये जाने हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 07-11-2014 द्वारा रूपये 6,37,07,000-00 (रूपये छः करोड़ सैंतीस लाख सात हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गई है। कार्यदायी संस्था को स्वीकृत धनराशि निक्षेप वर्क के रूप में दिये जाने का अनुरोध किया गया है। चूंकि कार्यदायी संस्था द्वारा लम्बे समय तक कार्य किया जायेगा। अतः राज्यपाल महोदय उक्त इंगित शासनादेश दिनांक 7-12-2014 द्वारा स्वीकृत धनराशि रूपये 6,37,07,000-00 (रूपया छः करोड़ सैंतीस लाख सात हजार मात्र) कार्यदायी संस्था, उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि0, लखनऊ को निक्षेप वर्क के रूप में दिये जाने की अनुमति प्रदान करते हैं।

2- शासनादेश संख्या- 1224(2)/छप्पन-14-108/2000, दिनांक 07-12-2014 में उल्लिखित शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे और क्रय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- ये आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या- ई-7-271/दस-2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

पृ0सं0 : 23/2015/2156(1)/छप्पन-2014-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0 छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर- एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि0, 10, अशोक मार्ग, लखनऊ-226 001
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
7- आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग'2
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।